भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,
देहरादून।

संख्याः 369 /ई–निवि0सह0ई0नीला0/भू0खनि0ई0/चमोली/2019–20, दिनांकः 25 मई, 2019

कार्यालय ज्ञाप

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून के ई–निविदा सह ई–नीलामी आमंत्रण प्रपत्र संख्या 003_Chamoli_Chaipron Tharali_0.900ha/ई0निवि0सहई0नीला0/भू0खनि0ई0/2017–18, दिनांक 02 अगस्त, 2018 के द्वारा जनपद के स्थायी निवासी अथवा स्थायी निवासियों की समिति, जो कोआपरेटिव सोसाइटी एक्ट में पंजीकृत हो के लिए जनपद चमोली की तहसील थराली के ग्राम चैपडों, क्षेत्रफल 0.900 है0 पर्वतीय क्षेत्रान्तर्गत रिक्त उपखनिज क्षेत्र में उपलब्ध बालू, बजरी, बोल्डर (आर0बी0एम0) को ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से आवंटन हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी थी।

2– उक्त उपखनिज क्षेत्र हेतु तकनीकी ई–निविदा दिनांक 24.08.2018 को खोली गयी थी। उक्त लॉट हेतु अधिकतम निर्धारित मात्रा 29700 टन एवं न्यूनतम निर्धारित मात्रा 14850 टन है। तदोपरान्त उक्त उपखनिज लॉट की वित्तीय निविदा दिनांक 30.08.2018 को खोली गयी।

3– उक्त लॉट हेतु दिनांक 24.08.2018 को खोली गयी प्रथम चरण की ई–निविदा में 05 निविदादाताओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। तकनीकी निविदा के मूल्यांकन का परिणाम 28.08.2018 को घोषित किया गया, जिसमें 03 निविदाकारों की तकनीकी बोली को स्वीकृत करते हुए वित्तीय ई–निविदा बोली दिनांक 30.08.2018 को खोली गयी। प्राप्त ई–निविदाओं का मूल्यांकन करते हुए समिति द्वारा सुसंगत नियमों के अधीन निम्नानुसार संस्तुति प्रदान की गयी हैः–

तालिका– 1

क0सं0	आवेदक का नाम/निवासी	यूनिक आई/बिडर आई0डी0	आवेदक की वित्तीय बोली
1.	श्री देवी प्रसाद	47605/M180102152238380	29,700 टन
2.	श्री बिपिन थपलियाल	47611/M180425165034390	29,700 टन
3.	श्री हरी सिंह रावत	47772/M180711162303173	29,700 टन
4	श्री राकेश जोशी	47801/M180102153621723	29,700 टन
5	श्री नरेन्द्र सिंह	47830/M180217150840330	29,700 टन

जनपद चमोली की तहसील थराली के ग्राम चैपडों, क्षेत्रफल 0.900 है0 पर्वतीय क्षेत्रान्तर्गत हेतु प्रथम चरण में ई–निविदा में प्राप्त अधिकतम चाही गयी अंकित मात्रा उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 27 ग के उपनियम–11(5) के अनुसार 29,700 टन प्राप्त हुई।

जनपद चमोली की तहसील थराली के ग्राम चैपडों, क्षेत्रफल 0.900 है0 पर्वतीय क्षेत्रान्तर्गत हेतु उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 27 ग के उपनियम–11 प्रथम चरण के अनुसार द्वितीय चरण की ई–नीलामी की न्यूनतम बोली धनराशि (Floor price) = 29,700 x 35.00 = रू0 **10,39,500.00 (रू0 दस लाख उनतालीस हजार पांच सौ मात्र)** निर्धारित की गयी।

कार्यालय ज्ञाप संख्या 446/ई0निवि0सहई0नीला0/परिणाम/चमोली/भू0खनि0ई0/2018–19, दिनांक 01 सितम्बर, 2018 के द्वारा जनपद चमोली की तहसील थराली के ग्राम चैपडों, क्षेत्रफल 0.900 है0 पर्वतीय क्षेत्रान्तर्गत हेतु समिति की संस्तुति पर प्रथम चरण की वित्तीय बोली के परिणाम के आधार पर द्वितीय चरण (ई–नीलामी) हेतु न्यूनतम बोली धनराशि (Floor price) **रू0 10,39,500.00 (रू0 दस लाख उनतालीस हजार पांच सौ मात्र)** निर्धारित की गयी।

4– ई–निविदा सह ई–नीलामी के द्वितीय चरण (ई–नीलामी) में प्रतिभाग करने हेतु उपरोक्त प्रथम चरण (ई–निविदा) के सफल निविदाकारों को कार्यालय के पत्र संख्या 003_Chamoli_Chaipron Tharali_0.900ha/ई0निवि0सह ई0नीला0/भू0खनि0ई0/2017–18, दिनांक 12 सितम्बर, 2018 के माध्यम से ई–निविदा सह ई–नीलामी आमंत्रण प्रपत्र जारी किया गया, जिसकी सूचना विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर, व्यक्तिगत दूरभाष तथा ई–मेल के द्वारा भी सभी उपरोक्त सफल निविदाकारों को दी गयी।

5– ई–निविदा सह ई–नीलामी के द्वितीय चरण (ई–नीलामी) में प्रतिभाग करने हेतु पूर्व निर्धारित तिथि 20.09.2018 सायं 5:00 बजे तक उक्त तालिका में वर्णित बोलीदाताओं द्वारा https://eauction.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र एवं वांछित अभिलेख अपलोड कर प्रस्तुत किये गये है।

6– उपरोक्तानुसार 05 इच्छुक बोलीदाताओं के आमंत्रण प्रपत्र तथा उसके साथ संलग्न वांछित अभिलेखों का परीक्षण/मूल्यांकन करने के उपरान्त समिति की संस्तुति के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त तालिका में वर्णित बोलीदाताओं को ई–निविदा सह ई–नीलामी आमंत्रण प्रपत्र में वर्णित तिथि एवं समय पर ऑनलाईन नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग करने की अनुमति कार्यालय ज्ञाप संख्या 512/ई–निविदा सह ई–नीलामी/भू0खनि0ई0/2017–18, दिनांक 22 सितम्बर, 2018 के द्वारा प्रदान की गयी।

ई–नीलामी (द्वितीय चरण) में प्रतिभाग करने हेतु अनुमत किये गये निविदाकारों/बोलीदाताओं द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक पूर्व निर्धारित समयान्तर्गत ई–नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग किया गया परन्तु निर्धारित समय के अन्तर्गत ही विभागीय वेबसाईट में तकनीकी खराबी आने के कारण उक्त नीलमी की प्रक्रिया अग्रेत्तर दिनांक 28.09.2018 को निर्धारित समयान्तर्गत 03.28.15PM से 04.45.42PM बजे तक पुनः सम्पन्न हुई, उक्त के सम्बन्ध में वेबसाईट eauction.uk.gov.in software के द्वारा ऑनलाईन परिणाम निम्नानुसार प्राप्त हुए है :–

क0सं0	बिडर मास्क्ड आई0डी0	उच्चतम बिड सबमिट करने की तिथि एवं समय	बिडर वैल्यू रू0
1	20181457314195	28 सितम्बर, 2018 सायं 04.44 बजे	11345151.00
2	20181457314281	28 सितम्बर, 2018 सायं 04.21 बजे	8008677.00
3	20181457314275	28 सितम्बर, 2018 सायं 04.45 बजे	11605001.00
4	20181457313627	24 सितम्बर, 2018 सायं 03.02 बजे	2718131.00
5	20181457314299	28 सितम्बर, 2018 सायं 04.17 बजे	7842373.00

प्रतिभाग/निविदाकारों/बोलीदाताओं की संख्या 05 प्राप्त हुई है, जिनके द्वारा बोली गई उच्चतम बोली रू0 1,16,05,001.00 (रू0 एक करोड सोलह लाख पांच हजार एक मात्र) उक्त तालिका में वर्णित है।

7– ई– ऑक्शन सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रतिभागी निविदाकारों/बोलीदाताओं की माक्स्ड आई0डी0 हटाते हुए निम्नानुसार परिणाम प्रस्तुत किये गये, जिसकी घोषणा कार्यालय ज्ञाप संख्या 2264/ई–निविदा सह ई–नीलामी/भू0खनि0ई0 /2018–19, दिनांक 11 जनवरी, 2019 के द्वारा की गई :–

क0 सं0	ई–ऑक्शन सॉफ्टवेयर में बिडर माक्स्ड आई0डी0/नाम (विभागीय वेबसाइट द्वारा निर्गत पंजीकरण सं0)	उच्चतम बिड सबमिट करने की तिथि एवं समय	बिडर वैल्यू रू0	उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली (संशोधित) 2017 के सुसंगत नियम 27 ग उपनियम द्वितीय चरण 5 के द्वारा
1	20181457314275/ Rakesh Joshi (M180102153621723)	28 सितम्बर, 2018 सायं 04.45 बजे	11605001.00	H1
2	20181457314195/ Narendra Singh (M180217150840330)	28 सितम्बर, 2018 सायं 04.44 बजे	11345151.00	H2
3	20181457314281/ Devi Prasad (M180102152238380)	28 सितम्बर, 2018 सायं 04.21 बजे	8008677.00	H3
4	20181457314299/ Bipin Thapliyal (M180425165034390)	28 सितम्बर, 2018 सायं 04.17 बजे	7842373.00	H4
5	20181457313627/ Hari Singh Rawat (M180711162303173)	24 सितम्बर, 2018 सायं 03.02 बजे	2718131.00	H5

8– कार्यालय ज्ञाप संख्या 2264/ई–निविदा सह ई–नीलामी/भू0खनि0ई0 /2018–19, दिनांक 11 जनवरी, 2019 के द्वारा ई– ऑक्शन सॉफ्टवेयर से प्राप्त परिणामों के आधार पर प्रतिभागी निविदाकारों/बोलीदाताओं को उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के सुसंगत नियम 27 (ग) उप नियम द्वितीय चरण (5) के द्वारा उपरोक्त वर्णित तालिकानुसार प्रतिभागी निविदाकार/बोलीदाताओं को उनके द्वारा दर्ज अंतिम उच्चतम बोली के आधार पर क्रमशः H1, H2, H3, H4, H5……. घोषित किया गया।

09– कार्यालय ज्ञाप संख्या 2264/ई–निविदा सह ई–नीलामी/भू0खनि0ई0 /2018–19, दिनांक 11 जनवरी, 2019 द्वारा श्री राकेश जोशी (M180102153621723) को जनपद चमोली की तहसील थराली के ग्राम चैपडों, क्षेत्रफल 0.900 है0 पर्वतीय क्षेत्रान्तर्गत उपखनिज क्षेत्र से कुल 29,700 टन उपखनिज की निकासी हेतु उनके द्वारा बोली गयी उच्चतम बोली की कुल धनराशि रू0 1,16,05,001.00 (रू0 एक करोड सोलह लाख पांच हजार एक मात्र) को ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रक्रिया के आवंटन हेतु H1 घोषित

करते हुए सूचित किया गया कि वे उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) उपनियम (1) के अनुसार तीन दिन के अन्तर्गत बोली गई अधिकतम उच्चतम बोली का दस प्रतिशत धनराशि सफल बोलीदाता धनराशि अर्थात रू0 11,60,500.00 (रू0 ग्यारह लाख साठ हजार पांच सौ मात्र) एवं नियम– 28 ख (3) के अनुसार सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत दस प्रतिशत धनराशि प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि अर्थात रू0 11,60,500.00 (रू0 ग्यारह लाख साठ हजार पांच सौ मात्र) विभागीय लेखा शीर्षक में जमा कराते हुए ट्रेजरी चालान की प्रति एवं विभागीय वेबसाईट में पंजीकरण के दौरान प्रेषित समस्त अभिलेखों की मूल प्रतियां कार्यालय में जमा करायें, ताकि तद्नुसार उनके पक्ष में आशय पत्र निर्गत किये जाने की कार्यवाही सम्पन्न की जा सके। H1 ई–नीलामी बोलीदाता श्री राकेश जोशी द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 2264/ई–निविदा सह ई–नीलामी/भू0खनि0ई0/2018–19, दिनांक 11 जनवरी, 2019 का अनुपालन न करते हुए उच्चतम बोली धनराशि का 10 प्रतिशत "सफल बोलीदाता धनराशि" एवं उच्चतम बोली धनराशि का 10 प्रतिशत "प्रोस्पेक्टिंव पट्टाधारक धनराशि" निर्धारित समयान्तर्गत जमा नहीं कराई गई है, जिसके उपरान्त इस कार्यालय के नोटिस संख्या 2620/ई0निवि0सह0 ई0नीला0/खनन/भू0खनि0ई0/2018–19, दिनांक 26 फरवरी, 2019 व नोटिस संख्या 118/ई0निवि0सह0 ई0 नीला0/खनन/भू0खनि0ई0/2019–20, दिनांक 25 अप्रैल, 2019 के द्वारा उक्त 10 प्रतिशत "सफल बोलीदाता धनराशि" एवं उच्चतम बोली धनराशि का 10 प्रतिशत "प्रोस्पेक्टिंव पट्टाधारक धनराशि" जमा किये जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके उपरान्त भी H1 बोलीदाता श्री राकेश जोशी द्वारा उक्त धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा नहीं कराई गई है।

उक्त के दृष्टिगत नियमावली के नियम 28क(2) के प्राविधानानुसार H1 ई–नीलामी बोलीदाता श्री राकेश जोशी (M180102153621723) को भी उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) उपनियम (1) एवं नियम– 28ख(3) के अन्तर्गत कार्यवाही न किये जाने पर असफल ई–नीलामी बोलीदाता घोषित किया जाना तथा उनके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी भारतीय स्टेट बैक, थराली द्वारा जारी एफ0डी0आर0 सं0–37880879469, दिंनाक 16.08.2018 रू0 2,60,000.00 (रू0 दो लाख साठ हजार मात्र) को निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पक्ष मे जब्त करते हुए नियमावली के नियम 28 क (2) के प्राविधानानुसार कोटिक्रम में द्वितीय ई–नीलामी बोलीदाता H2 श्री नरेन्द्र सिंह (M180217150840330) को उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) उपनियम (1) के अनुसार तीन दिन के अन्तर्गत बोली गई अधिकतम उच्चतम बोली रू0 1,13,45,151.00 (रू0 एक करोड तेरह लाख पैतालीस हजार एक सौ इक्कावन मात्र) का दस प्रतिशत धनराशि सफल बोलीदाता धनराशि अर्थात रू0 11,34,515.00 (रू0 ग्यारह लाख चौतीस हजार पांच सौ पन्द्रह मात्र) एवं नियम– 28 ख (3) के अनुसार सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत दस प्रतिशत धनराशि प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि अर्थात रू0 11,34,515.00 (रू0 ग्यारह लाख चौतीस हजार पांच सौ पन्द्रह मात्र) विभागीय लेखा शीर्षक में जमा कराते हुए ट्रेजरी चालान की प्रति एवं विभागीय वेबसाईट में पंजीकरण के दौरान प्रेषित समस्त अभिलेखों की मूल प्रतियां कार्यालय में जमा किये जाने हेतु अवसर प्रदान किया जाना है।

10– अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) के बिन्दु संख्या – 1, 2, 3, 4 में निम्न प्राविधान है :–

1. द्वितीय चरण की बोली समाप्त होने के उपरान्त उच्चतम बोलीदाता द्वारा दी गयी वार्षिक ई–नीलामी बोली धनराशि का दस प्रतिशत (10%) "सफल बोलीदाता धनराशि" तीन दिन के अन्तर्गत विभागीय payment gate way के माध्यम से ऑन लाईन जमा करने के उपरान्त सफल बोलीदाता घोषित किया जायेगा।
2. H1 के असफल होने की दशा में उसकी अर्नेस्ट मनी को जब्त करते हुए कोटिक्रम में द्वितीय ई–नीलामी बोलीदाता H2 को उसकी बोली के मूल्य का दस प्रतिशत कार्य दिवसों के अन्तर्गत जमा कराये जाने का अवसर प्रदान कराया जायेगा, उसके भी असफल होने की दशा में उसकी अर्नेस्ट मनी जब्त करते हुए उत्तरोत्तर कोटिक्रम का अनुपालन करते हुए अन्तिम सफल बोलीदाता तक प्रक्रिया सम्पन्न कर सफल पाये गये बोलीदाता की घोषणा निदेशक द्वारा की जायेगी। सभी ई–नीलामी बोलीदाताओं के असफल होने की दशा में उनके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी को जब्त करते हुए ई–नीलामी बोली की प्रक्रिया को समाप्त घोषित किया जायेगा तथा खनन पट्टे हेतु ई–निविदा सह ई–नीलामी की प्रक्रिया सात दिन की अल्पावधि की विज्ञप्ति के उपरान्त अगले स्तर हेतु पुनः प्रारम्भ की जायेगी।
3. सफल ई–नीलामी बोलीदाता द्वारा अधिकतम वार्षिक नीलामी बोली का दस प्रतिशत (10%) "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" (बिन्दु (2) के अतिरिक्त) सात कार्यदिवसों के अन्दर विभागीय पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से ऑन लाईन जमा करने के उपरानत प्रोस्पेक्टिंव पट्टाधारक अर्थात ऐसा सफल ई–नीलामी बोलीदाता, जो अधिकतम वार्षिक नीलामी बोली का 10 प्रतिशत धनराशि जमा कर दिया हो, घोषित किया जायेगा।
4. प्रस्तर संख्या (1) के अनुसार घोषित उच्चतम बोलीदाता H1 द्वारा प्रस्तर (2) व (4) में से किसी स्तर पर निर्धारित समयान्तर्गत कार्यवाही न किये जाने के फलस्वरूप असफल होने की दशा में बिन्दु संख्या (3) के अनुसार निर्धारित H2 व कोटिक्रमानुसार अवसर प्रदान करते हुए उपरोक्तानुसार वर्णित विधि से खनन पट्टा आवंटन की प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी।

उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 27 ग द्वितीय चरण के बिन्दु संख्या–5 के प्राविधानानुसार कार्यालय ज्ञाप संख्या 2268/ई–निविदा सह ई–नीलामी/भू0खनि0ई0/2018–19, दिनांक 11 जनवरी, 2019 के द्वारा श्री

नरेन्द्र सिंह को अधिकतम ई–नीलामी बोली रू0 1,13,45,151.00 (रू0 एक करोड तेरह लाख पैतालीस हजार एक सौ इक्कावन मात्र) के सापेक्ष H2 ई–नीलामी बोलीदाता घोषित है।

कार्यालय ज्ञाप संख्या 2268/ई–निविदा सह ई–नीलामी/भू0खनि0ई0/2018–19, दिनांक 11 जनवरी, 2019 के क्रम में श्री राकेश जोशी H1 ई–नीलामी बोलीदाता द्वारा ई0 निविदा में बोली गई उच्चतम ई–नीलामी बोली रू0 1,16,05,001.00 (रू0 एक करोड सोलह लाख पांच हजार एक मात्र) के सापेक्ष नियमावली के नियम 28(क)(1) के प्राविधानानुसार 10 प्रतिशत "सफल बोलीदाता धनराशि" रू0 11,60,500.00 (रू0 ग्यारह लाख साठ हजार पांच सौ मात्र) एवं नियमावली के नियम 28(क)(3) के प्राविधानानुसार तथा 10 प्रतिशत "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" रू0 11,60,500.00 (रू0 ग्यारह लाख साठ हजार पांच सौ मात्र) निर्धारित समयान्तर्गत जमा नहीं कराये जाने के दृष्टिगत नियमावली के नियम 28(क)(2) के प्राविधानानुसार श्री राकेश जोशी H1 निविदादाता को असफल ई–नीलामी बोलीदाता घोषित करते हुए उक्त नियम के प्राविधानानुसार H1 ई–नीलामी बोलीदाता द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी भारतीय स्टेट बैंक, थराली द्वारा जारी एफ0डी0आर0 सं0–37880879469, दिंनाक 16.08.2018 रू0 2,60,000.00 (रू0 दो लाख साठ हजार मात्र) को निदेशक भूतत्व एंव खनिकर्म इकाई के पक्ष में जब्त करते हुए नियमावली के नियम 28(क)(2) के प्राविधानानुसार कोटिक्रम में द्वितीय ई–नीलामी बोलीदाता H2 श्री नरेन्द्र सिंह द्वारा बोली गयी उनकी उच्चतम बोली रू0 1,13,45,151.00 (रू0 एक करोड तेरह लाख पैतालीस हजार एक सौ इक्कावन मात्र) का दस प्रतिशत "सफल बोलीदाता धनराशि" रू0 11,34,515.00 (रू0 ग्यारह लाख चौतीस हजार पांच सौ पन्द्रह मात्र) तीन कार्य दिवसों के अन्तर्गत तथा दस प्रतिशत धनराशि रू0 11,34,515.00 (रू0 ग्यारह लाख चौतीस हजार पांच सौ पन्द्रह मात्र) "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक" के सापेक्ष सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत जमा कराये जाने का अवसर प्रदान किया जाता है।

आदेश

कार्यालय ज्ञाप संख्या 2268/ई–निविदा सह ई–नीलामी/भू0खनि0ई0/2018–19, दिनांक 11 जनवरी, 2019 के क्रम में श्री राकेश जोशी H1 ई–नीलामी बोलीदाता द्वारा ई0 निविदा में बोली गई उच्चतम ई–नीलामी बोली रू0 1,16,05,001.00 (रू0 एक करोड सोलह लाख पांच हजार एक मात्र) के सापेक्ष नियमावली के नियम 28(क)(1) के प्राविधानानुसार 10 प्रतिशत "सफल बोलीदाता धनराशि" रू0 11,60,500.00 (रू0 ग्यारह लाख साठ हजार पांच सौ मात्र) एवं नियमावली के नियम 28(क)(3) के प्राविधानानुसार तथा 10 प्रतिशत "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" रू0 11,60,500.00 (रू0 ग्यारह लाख साठ हजार पांच सौ मात्र) निर्धारित समयान्तर्गत जमा नहीं कराये जाने के दृष्टिगत नियमावली के नियम 28(क)(2) के प्राविधानानुसार श्री राकेश जोशी H1 निविदादाता के रूप में असफल ई–नीलामी बोलीदाता घोषित करते हुए उक्त नियम के प्राविधानानुसार श्री राकेश जोशी को H1 ई–नीलामी बोलीदाता द्वारा अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा भारतीय स्टेट बैंक, थराली द्वारा जारी एफ0डी0आर0 सं0–37880879469, दिंनाक 16.08.2018 रू0 2,60,000.00 (रू0 दो लाख साठ हजार मात्र) को निदेशक भूतत्व एंव खनिकर्म इकाई के पक्ष में जब्त किया जाता है।

उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28(क)(2) में किये गये प्राविधानानुसार कोटिक्रम में द्वितीय ई–नीलामी बोलीदाता H2 श्री नरेन्द्र सिंह (M180217150840330) द्वारा बोली गई अधिकतम उच्चतम बोली रू0 1,13,45,151.00 (रू0 एक करोड तेरह लाख पैतालीस हजार एक सौ इक्कावन मात्र) के सापेक्ष सफल ई–नीलामी बोलीदाता घोषित किया जाता है तथा तद्नुसार श्री नरेन्द्र सिंह को निर्देशित किया जाता है कि वे नियमावली के नियम 28 (क) के बिन्दु संख्या – 1, 2, 3 व 4 के अधीन निम्नवत वांछित धनराशि एंव आवश्यक अभिलेख निर्धारित तिथि एंव समय के अन्तर्गत जमा कराना सुनिश्चित करेंगें:–

1. उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) (1) के अधीन वार्षिक ई–नीलामी बोली धनराशि रू0 1,13,45,151.00 (रू0 एक करोड तेरह लाख पैतालीस हजार एक सौ इक्कावन मात्र) का 10 प्रतिशत "सफल बोलीदाता धनराशि" रू0 11,34,515.00 (रू0 ग्यारह लाख चौतीस हजार पांच सौ पन्द्रह मात्र) आदेश प्राप्ति के 03 (तीन) दिन के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान के माध्यम से विभागीय लेखा शीर्षक "0853–अलौह खनिज एवं धातुकर्म उद्योग" में जमा करते हुए ट्रेजरी चालान की प्रति एवं विभागीय वेबसाईट में पंजीकरण के दौरान प्रेषित समस्त अभिलेखों की मूल प्रतियां कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें तदोपरान्त ही आपको सफल बोलीदाता माना जा सकेगा।
2. उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) (3) के अधीन वार्षिक ई–नीलामी बोली धनराशि रू0 1,13,45,151.00 (रू0 एक करोड तेरह लाख पैतालीस हजार एक सौ इक्कावन मात्र) का 10 प्रतिशत "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" रू0 11,34,515.00 (रू0 ग्यारह लाख चौतीस हजार पांच सौ पन्द्रह मात्र) सात कार्य दिवसों के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान के माध्यम से विभागीय लेखा शीर्षक "0853–अलौह खनिज एवं धातुकर्म उद्योग" में जमा कराते हुए ट्रेजरी चालान की प्रति कार्यालय में उपलब्ध करना सुनिश्चित करें, तदोपरान्त ही आपको प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक घोषित किया जा सकेगा तथा तदोपरान्त प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक के पक्ष में आशय पत्र जारी किये जाने की अग्रेत्तर कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।
3. उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) (2) के प्राविधानुसार ई–नीलामी बोलीदाता H2 अर्थात् आपके द्वारा भी यदि वार्षिक ई–नीलामी बोली धनराशि रू0 1,13,45,151.00 (रू0 एक करोड तेरह लाख पैतालीस हजार एक सौ इक्कावन मात्र) का 10 प्रतिशत "सफल बोलीदाता धनराशि" रू0 11,34,515.00 (रू0 ग्यारह लाख चौतीस हजार पांच

सौ पन्द्रह मात्र), 03 (तीन) दिन के अन्तर्गत तथा उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) (3) के अधीन वार्षिक ई–नीलामी बोली धनराशि रू0 1,13,45,151.00 (रू0 एक करोड तेरह लाख पैतालीस हजार एक सौ इक्कावन मात्र) का 10 प्रतिशत ''प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि'' रू0 11,34,515.00 (रू0 ग्यारह लाख चौतीस हजार पांच सौ पन्द्रह मात्र) सात कार्य दिवसों के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान के माध्यम से विभागीय लेखा शीर्षक ''0853–अलौह खनिज एवं धातुकर्म उद्योग'' में जमा नही किया जाता है तो आपको भी असफल घोषित करते हुए आप द्वारा निदेशक भूतत्व एंव खनिकर्म इकाई के पक्ष में बन्धक/जमा अर्नेस्ट मनी उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक, जोगीवाला, देहरादून द्वारा जारी डी0डी0 संख्या–000209, दिनांक 23.08.18 रू0 2,59,875.00 (रू0 दो लाख उनसठ हजार आठ सौ पिचहत्तर मात्र) को निदेशक, भूतत्व एंव खनिकर्म इकाई के पक्ष में जब्त कर अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

अतः श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह, निवासी– ग्राम व पोस्ट बुडजोला, तहसील थराली, जनपद चमोली H2 (M180217150840330) ई–नीलामी बोलीदाता से अपेक्षा है कि उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाही निर्धारित समयान्तर्गत सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।

(डॉ0 मेहरबान सिंह बिष्ट)
निदेशक

संख्याः 369 /ई–निवि0सह0ई–नीला0/भू0खनि0ई0/चमोली/2019–20 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. जिलाधिकारी, चमोली।
3. जिला खान अधिकारी, भूतत्व एंव खनिकर्म इकाई, जनपद चमोली।
4. श्री राकेश जोशी पुत्र श्री भवानी दत्त, निवासी–ग्राम चिडिगा खालसा, पोस्ट ग्वालदम, तहसील थराली, जिला चमोली।
5. श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह, निवासी– ग्राम व पोस्ट बुडजोला, तहसील थराली, जनपद चमोली।

(डॉ0 मेहरबान सिंह बिष्ट)
निदेशक